संख्या- 129/2015-1999/नौ-5-15-12वीआईपी/2014

प्रेषक,

उमाशंकर सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उत्तर प्रदेश जल निगम,
लखनऊ ।

नगर विकास अनुभाग- 5 लखनऊ दिनांक 31 मार्च 2015

विषय:: वित्तीय वर्ष 2014-2015 में राज्य सेक्टर के अन्तर्गत नगर पंचायत मौरावां जनपद उन्नाव में पेयजल योजना की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति एवं प्रथम किशत की धनराशि अवमुक्त करने हेतु ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (नागर), उ0प्र0 जल निगम लखनऊ के पत्र संख्या-78/नागर-2/033-0304/15 दिनांक 19.09.2014 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सेक्टर कार्यक्रम के अनतर्गत नगर पंचायत मौरावां जनपद उन्नाव में पेयजल योजना के संबंध में रू0 51.96 लाख की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृत के साथ प्रथम किशत के रूप में रू0 25.98 लाख की धनराशि निम्नलिखत शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यवाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(1) स्वीकृत धनराशि प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम लखनऊ तथा सचिव/संयुक्त सचिव, नगर विकास विभाग के प्रतिहस्ताक्षरयुक्त बिल प्रस्तुत करके कोषागार/भारतीय स्टेट बैक से आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/डाकघर/पीएलए /डिपोजिट खाते में नही रखी जायेगी।

(2) स्वीकृत धनराशि का व्यवर्तन किसी भी दशा मे नही किया जायेगा।

(3) कार्य पूर्ण होने पर कार्य के सम्परीक्षित लेखे शासन को अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा ।

(4) प्रश्नगत कार्य हेतु अवमुक्त धनराशि का आहरण कोषागार से सुसंगम नियामों/प्रविधानों के अनुसार किया जायेगा।

(5) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त पुस्तिका के सुसंगम प्रावधानों/समय-समय पर निर्गत शासनदेशो के अनुरूप किया जायेगा।

(6) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा मे उसी कार्य/मद में किया जाय। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जाय।

(7) कार्यो की द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो, इसकी पुष्टि कर ली जाय।

(8) निष्प्रयोज्य होने वाले उपकरणों/सामग्री से प्राप्त धनराशि राजकोष में जमा करना सुनिश्चत किया जाय।

shashimalesh.upnic.in/mtra

2- वित्त विभाग द्वारा निर्धरित विशिष्ट शर्तो का अनुपालन विभागों/उपक्रमों में तैनात वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/ लेखधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो सुनिश्चित करेगे। यदि निर्धारित शर्तो का किसी प्रकार का विचलन हो तो संबंधित वित्त नियंत्रण् इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित नगर विकास विभाग तथा वित्त विभाग को दे दी जाय।

3- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-2015 के आय- व्ययक के अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत आयोनागत लेखाशीर्षक "2215-जल पूर्ति तथा सफाई- 01 - जलपूर्ति -193 -नगर पंचायतों/अधिसूचित क्षेत्र समितियों या उनके समतुल्य निकायों को सहायता-04-उ0प्र0 व्यापार विकास निधि से व्यय -0401-नगरीय निकायों के पेयजल कार्यो हेतु -35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान" के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे है।

भवदीय

(उमाशंकर सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या-129/2015-1999/नौ-5-15-12वीआईपी/2014 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशरः-

1- महालेखाकार, (वर्क्स लेखा अनुभाग), उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- जिलाधिकारी, लखनऊ/उन्नाव ।
3- कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट कोषागार, लखनऊ।
4- निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
5- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ ।
6- अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, अयोध्या ।
7- वरिष्ठ लेखाधिकारी/मुख्य सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो।
8- मुख्य अभियंता (ल0क्षे0), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
9- अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, मौरावां, उन्नाव ।
10- वित्त (ई-8) अनुभाग/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2 एवं नियोजन अनुभाग- 3/4
11- सुपर यूजर, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
12- गार्ड फाइल/ कम्प्यूटर सेल।

आज्ञा से,

(उमा शंकर सिंह)
संयुक्त सचिव।

shasanadesh.up.nic.in/intra